न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अर्चना व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–1113/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जेठाराम पुत्र दमाराम 2. दीनाराम पुत्र दमाराम 3. पेमी पत्नी दमाराम जाति मेघवाल निवासी बाबानगर तहसील लोहावट		1. शायन्ती पत्नी नखताराम जाति मेघवाल निवासी बाबानगर 2. वीराराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी बाबानगर 3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा –फलौदी 4. शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. बैंक शाखा खींचन 5. तहसीलदार लोहावट

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– वादीगण :–अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह चौहान।

प्रतिवादी संख्या 01 की आरे से :– अधिवक्ता श्री हर्ष सोनी।

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से :– अधिवक्ता श्री महीपालसिंह चौहान।

–:: निर्णय ::– दिनांक 09/03/24.

वादीगण का वाद दिनांक **05.01.2022 को** प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार लोहावट को विभाजन प्रस्ताव मंगवाने की तहरीर जारी की जिसकी पालना में तहसीलदार लोहावट ने विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2023 पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार लोहावट से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करते हुए विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 ने तहसीलदार लोहावट से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2023 स्वीकार करते हुए विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन व मनन से तहसीलदार लोहावट द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2023 को स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद को स्वीकार किया जाकर माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

आदेश

वादीगण का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है राजस्व ग्राम बाबानगर तहसील लोहावट में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के खातेदारी अधिकारों की क्रमशः खसरा नंबर 88/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व खसरा नंबर 88/1 रकबा 2.5819 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक में माफिक विभाजन प्रस्वाव अनुसार रखी जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में बन्टवाड़ा किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बन्ट की भूमि को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2023में दर्शाये अनुसार खाता अलग कर राजस्व नक्शा में तरमीम अलग की जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग पढा जावें। निर्णय माफिक अन्तिम डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

निर्णय आज राष्ट्रिय लोक अदालत में दिनांक ..09/03/24.....को सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

सहायक कलेक्टर
लोहावट (जोधपुर)

Scanned with CamScanner